न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सूरज सिंह नेगी,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 68/2023
प्रविष्टि दिनांक 19.07.2023

महावीर पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी ग्राम लक्ष्मीपुरा, पंचायत चंदवाड, तहसील दूनी जिला टोंक राज.

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.06.2023 तहसीलदार दूनी उनवानी प्रकरण सरकार बनाम महावीर, प्रकरण सं. 362/2023

उपस्थिति : (1) श्री श्याम सुन्दर विजय व श्रीमति रेणु विजयवर्गीय, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक **24.08.2023**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 27.06.2023 के द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1556 रकबा 1.00 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 1557 रकबा 1.10 हैक्टेयर वाके ग्राम घाड, तहसील दूनी पर मिट्टी, कंकड का ढेर कर अतिक्रमण मानकर वार्षिक लगान 16.80 रूपये का 50 गुना जुर्माना कुल 840 रू शास्ति तथा 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किए जाने का पारित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार दूनी के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। अपीलांट को उक्त एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाने से पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर भी नहीं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

दिया गया है। उक्त प्रकरण में अपीलांट की तामील भी विधि अनुसार नहीं हुई है और उसी दिन अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर एक पक्षीय बयान गलत रूप से लेखबद्ध करवाकर उक्त आदेश पारित किया है जो बयान पटवारी हल्का बेनीप्रसाद नागर द्वारा लेखबद्ध करवाये गये है, उन बयानों में पटवारी हलका ने शपथ लेकर बयान नहीं किये है, जिनका विधि अनुसार कोई महत्व नहीं है, उसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित किया है जो खारिज किये जाने योग्य हैं। अपीलांट द्वारा किसी भी सरकारी/चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, अपीलांट ने खनिज विभाग के नाम दर्ज आराजी खसरा नम्बर 1925/1556 एवं 1926/1557 कुल रकबा 1.00 हेक्टेयर भूमि दिनांक 10.11.2021 को जरिये पंजीकृत लीजडीड के सहायक खनिज अभियंता एवं भू–विज्ञान विभाग से नियमानुसार लीज पर प्राप्त की हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी कोई साक्ष्य दस्तावेजी एवं मौखिक रूप से प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह प्रतीत होता हो कि अपीलांट ने उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना मौके पर गये एवं बिना वास्तविकता की जांच किये कार्यालय परिसर में बैठे–बैठे ही एक पक्षीय रूप से एक दिन में समस्त कार्यवाही की गई है, जो आदेशिका को देखने से पूर्णतया दर्शित होती है जो कि विधिविरूद्ध है। वर्तमान मे अपीलांट का किसी भी राजकीय भूमि पर कब्जा नही है और भविष्य मे कभी भी किसी भी राजकीय भूमि पर अपना कब्जा नही करेगा। इस संबंध में शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ तहसीलदार दूनी का निर्णय दिनांक 27.06.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलांट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है व अपीलांट की चस्पांदगी से तामील करवाई गई है किन्तु अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल संख्या 1450/2022 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल कर दिया गया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नही है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है तथा अपीलांट की चस्पांदगी से तामील करवाई गई है किन्तु अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नं. 1556 रकबा 1.00 हैक्टेयर किस्म चरागाह व खसरा नम्बर 1557 रकबा 1.10 हैक्टेयर वाके ग्राम घाड तहसील दूनी पर मिट्टी, कंकड का ढेर कर अतिक्रमण किया था किन्तु तहसीलदार दूनी ने उक्त निर्णय के पश्चात् अपीलांट ने वर्तमान मे अपना कब्जा हटा लिया है जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार दूनी से तलब की गई। तहसीलदार दूनी ने अपने पत्र कमांक 1304 दिनांक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

01.08.2023 से रिपोर्ट प्रेषित की है जिसमें अंकित किया हैं कि अपीलांट का किसी भी विवादित राजकीय भूमि पर कब्जा नही है। इस संबंध में न्यायालय हाजा में अपीलांट द्वारा शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.06.2023 के जरिये लगाया गया अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर स्थगित की जाती है कि तहसीलदार दूनी यह सुनिश्चित करेगे की अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नही हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एंव भविष्य मे पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट कब्जा नही करेगा। यदि अपीलांट उक्त भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक